



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब०/१४१५/२०२६ दिनांक : ०२/०९/२०२६
अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

१. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति।
२. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध/संघटक महाविद्यालय/समस्त आवासीय इकाई विभाग/संस्थान
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय— वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी०एफ०एम०एस० से रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सामान्याअन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोले जाने एवं समय सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

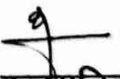
महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या १०७/२०२६/२३२५/२६-३-२०२६-१९६१९३४ दिनांक १९.०८.२०२६ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी०एफ०एम०एस० से रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सामान्याअन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किये जाने हेतु पोर्टल खोले जाने तथा समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए पात्र वंचित विद्यार्थियों के आवेदन निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराकर अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।

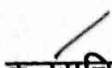
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

१. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
२. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
३. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की लॉग-इन आईडी० पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
४. गार्ड फाइल।


कुलसचिव

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- 2-1966

सं०क०/शिक्षा-अ/8/समय-सारिणी/2026-27

लखनऊ

दिनांक 31 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3
- 2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
- 8- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के कतिपय कारणों से वंचित छात्रों हेतु शासनादेश दिनांक 29-08-2026 द्वारा निर्गत समय-सारिणी संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद में स्थित छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, आटोनोंमस राजकीय शिक्षण संस्थान, समस्त निजी शिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों, नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों में व पैम्पलेट के माध्यम से समय-सारिणी में उल्लिखित तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा समय-सारिणी की प्रति सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समुचित कार्यवाही हेतु बैठक भी आयोजित करायें।

Digitally signed by
SANJEEV SINGH
Date: 31-08-2026
(संजीव सिंह)

निदेशक

संख्या-2325 /26-3-2026- 1961934

Nodal scholarship
 एनडल स्कोलरशिप
 एनडल स्कोलरशिप (नएडि =

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ०प्र लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 29 अगस्त, 2026

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1961/स0क0/शिक्षा-अ/8/2026-27 दिनांक 27.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर कक्षाओं में आवेदित परन्तु विभिन्न तकलीफी/अन्य कारणों से योजनान्तर्गत लाभान्वित होने से वंचित रह गये समस्त वर्गों के पात्र छात्रों हेतु मोटल पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- वित्तीय वर्ष 2025-26 में समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छत्रवृत्ति योजना में शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर पर मास्टर डाटा लॉक न किये जाने के कारण, छात्रों द्वारा त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड करने, शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन लम्बित रहने के कारण, पी0एफ0एम0एस0 पर लंबित/रिजेक्टेड प्रकरण तथा ट्रांजक्शन फेल आदि के कारण आवेदन के पश्चात उपर्युक्त विभिन्न कारणों से योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक छत्रवृत्ति भुगतान उक्त आवेदित पात्र छात्रों को नहीं हो सका। अपवाद स्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोर्टल पर आवेदित छात्रों को योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में आच्छादित किये जाने के विषय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

4- उक्त क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोर्टल पर आवेदित परन्तु छाटा ब्रुटि होने के कारण

व विभिन्न तकनीकी बरणों से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक योजनान्तर्गत पोर्टल पर आवेदन कर चुके जिन पात्र छात्रों को योजना से आच्छादन नहीं किया जा सके उक्त प्रकार के आवेदित व विद्यमान छात्र को त्रुटि रहित करने व ऐसे पात्र छात्रों को धनराशि इस वित्तीय वर्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित करने हेतु निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार उक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। उक्त विषयगत पोर्टल पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी निम्नवत निर्गत की जा रही है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना: मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी / विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित / अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	01 सितम्बर, 2026 से 07 सितम्बर, 2026 तक
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन: प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	02 सितम्बर, 2026 से 08 सितम्बर, 2026 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन: प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	03 सितम्बर, 2026 से 09 सितम्बर, 2026 तक
4	विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अद्यतन करना	03 सितम्बर, 2026 से 10 सितम्बर, 2026 तक
5	एन०आई०सी० द्वारा स्कूटनी PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन०आई०सी० द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 सितम्बर 2026 से 15 सितम्बर 2026 तक
6	त्रुटिपूर्ण आवेदन को शिक्षण संस्थान के स्तर से सही करना। छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को शिक्षण संस्थान द्वारा ठीक किया जाना।	16 सितम्बर, 2026 से 18 सितम्बर, 2026 तक
7	शिक्षण संस्था द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा अद्यतन करना: शिक्षण संस्था द्वारा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त	17 सितम्बर, 2026 से 19 सितम्बर, 2026 तक

	करना तथा पत्र छत्रों के आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अद्यतन करना।	
8	एनआईसी द्वारा पुनः स्टूडेंटों शिक्षण संस्थान द्वारा सही किये गये सन्देहस्पद छात्र को एनआईसी की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय तहसील पर उपलब्ध करना।	20 सितम्बर, 2026 से 22 सितम्बर, 2026 तक
9	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध छात्र को तॉक करना: जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा वुटरहित किये गए सन्देहस्पद एवं अवशेष शुद्ध छात्र वाले छात्रों के छात्र पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से छात्र तॉक किया जाना।	17 सितम्बर, 2026 से 25 सितम्बर, 2026 तक
10	गुरु सृजन: जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से तॉक छात्र के आधार पर एनआईसी की राज्य ईकाई से मांग सृजित करना।	26 सितम्बर, 2026 से 28 सितम्बर, 2026 तक
11	धनराशि का अन्तरण: जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से तॉक छात्र के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/ छात्रों के आधार सॉफ्टवेयर/एनपीसीआई से बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	29 सितम्बर, 2026 से 02 अक्टूबर, 2026 तक

5-अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावतियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उपर्युक्त के अनुसार पोर्टल खोलते हुए उक्त समय सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
ANURAG YADAV
DN: cn=ANURAG YADAV, o=Uttarakhand, ou=Uttarakhand, email=anurag.yadav@uttarakhand.gov.in, c=IN

प्रमुख सचिव।

प्र0प्र0 एवं दिनांक तदैवा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
7. निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRABHAT MISHRA
Date: 2023.07.12 12:00:45

(प्रवीण मिश्र)

विशेष सचिव।